आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No. 15 of 2021

Dist.:- Patna

PRESENT :- Sh. Vivek Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

==========

Sh. Yogendra Prasad - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

==========

Appearance :

For the Appellant : Sh. Sanjeev Nikesh, Advocate
For the Respondent : Sh. Jai Kumar Jalaj, Section Officer, GAD.

==========

04.08.2023

आदेश

यह सेवा अपील, श्री योगेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन सहायक, शिक्षा विभाग सम्प्रति सहायक, मुख्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक– 16/कोर्ट–03–07/2014 सा0प्र0– 13793 पटना, दिनांक 23.11.2021 द्वारा अधिरोपित दंड के विरूद्ध दायर किया गया है।

शिक्षा विभाग के पत्रांक–323 दिनांक– 18.02.2013 द्वारा श्री योगेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन सहायक, शिक्षा विभाग सम्प्रति निलंबित सहायक, मुख्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित किया गया है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा परिवादी श्री राजकमल, पिता– श्री जनकधारी सिंह, ग्राम– भूपतिपुर, पो0–ढ़ेलवाँ, थाना– रामकृष्णनगर, जिला–पटना से 4000/– (चार हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए, श्री प्रसाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा इस आरोप में श्री प्रसाद के विरूद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 7/13(2)–सह पठित धारा–13(1)(डी) के तहत निगरानी थाना कांड सं0– 68/2012 दिनांक 05.10.2012 दर्ज होने के उपरांत शिक्षा विभाग द्वारा आरोप पत्र गठित करते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय कार्रवाई संचालित करने हेतु अनुशंसा की गई। प्रतिवेदित आरोप के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए आदेश संख्या–11782 दिनांक 26.08.2014 द्वारा श्री प्रसाद को राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया गया।

उक्त बर्खास्तगी आरोप के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–17107/2014 दायर किया गया, इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.05.2019 को पारित न्याय निर्णय में

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

संबंधित विभागीय कार्यवाही में गवाहों द्वारा अभियोजन की सम्पुष्टी नहीं करने के आधार पर विभागीय कार्यवाही तथा दंडादेश को निरस्त करने का आदेश दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा इस संबंध में विभाग को यह छूट दी गई कि विभाग अगर चाहे तो वादी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कर सकती है।

माननीय न्यायालय के दिनांक 21.05.2019 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(5) के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या–8759 दिनांक 02.07.2019 द्वारा श्री प्रसाद को बिहार सरकार की सेवा में पुनर्स्थापित किया गया तथा बर्खास्तगी की तिथि 26.08.2014 से निलंबित मानते हुए शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की पुनः विस्तृत जांच कराने हेतु नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या–8759 दिनांक 02.07.2019 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए संचालन पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। समर्पित प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया कि ***''सुनवाई के क्रम एवं सभी गवाहों के परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि आरोपी कर्मी पर लगाया गया आरोप रिश्वत लेने एवं भ्रष्टाचार करने जैसे गंभीर आरोपों से संबंधित है। प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों एवं उनके साथ संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपी कर्मी पर श्री जनकधारी सिंह, सेवानिवृत संगीत शिक्षक के पुत्र श्री राजकमल से श्री सिंह को स्नातक स्तरीय वेतनमान देने के एवज में 4000/– (चार हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 05.10.2012 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। सभी गवाहों यथा धावादल प्रभारी एवं अनुसंधानकर्त्ता ने अपने बयान में आरोपी पर लगाये आरोपों की पुष्टि की है तथा आरोप को सही बताया है। अतः समीक्षोपरान्त यह पाया गया है कि आरोपी पर लगाये गये रिश्वत लेने का आरोप सही है।''***

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक–6887 दिनांक 09.07.2021 से श्री प्रसाद को उपलब्ध कराते हुए लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने का अवसर प्रदान किया गया। श्री प्रसाद द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 09.08.2021 समर्पित किया गया, जिसमें उन्होंने संचालन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई नहीं किये जाने, सभी संबंधित गवाहों का बयान नहीं लिये जाने, आपराधिक मामले में विभागीय कार्यवाही से न्यायिक कार्रवाई पूर्वाग्रहित होने तथा रिश्वत की राशि टेबुल के नीचे फर्श से बरामद होने का उल्लेख करते हुए आरोपों को अस्वीकार किया गया।

श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप जांच प्रतिवेदन एवं जांच प्रतिवेदन पर श्री प्रसाद से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन की समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2324 दिनांक 10.07.2007 के आलोक में आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही चलायी गयी है, जो नियमानुकूल है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 12787 दिनांक 28.08.2015 की कंडिका–8 एवं पत्रांक 12196 दिनांक 07.09.2016 की कंडिका– 3(iv) के प्रावधान के तहत श्री प्रसाद

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

से संबंधित मामले में गवाह के रूप में श्री राम कृष्ण पोद्दार, सेवानिवृत उपाधीक्षक–सह–धावा दल प्रभारी एवं दूसरे गवाह के रूप में श्री अक्षय कुमार मिश्र अनुसंधानकर्त्ता का बयान लिया गया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी श्री राजकमल एवं सत्यापनकर्त्ता श्री इन्द्रजीत सिंह (सिपाही) द्वारा मामले को सम्पुष्ट किया गया है। धावा दल प्रभारी तथा अनुसंधानकर्त्ता द्वारा भी एक संगीत शिक्षक के वेतन वृद्धि संबंधी कार्य करवाने हेतु श्री प्रसाद द्वारा 4000/–(चार हजार) रूपये लिये जाने संबंधी घटना को संपुष्ट किया गया है।

संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री प्रसाद द्वारा एक संगीत शिक्षक के वेतन वृद्धि संबंधी कार्य करवाने हेतु रिश्वत के रूप में 4000/– (चार हजार) रूपये लिया गया है। इस प्रकार कार्यालय के कार्य हेतु बाहरी व्यक्ति से पारितोषिक प्राप्त करना तथा इस क्रम में निगरानी धावा दल द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाना सरकारी सेवक के गंभीर कदाचार, पदीय कर्तव्य का दुरूपयोग है तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के अनुसार श्री प्रसाद की शीलनिष्ठा संदिग्ध एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है। उक्त कदाचार संबंधी प्रमाणित गंभीर आरोप के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (xi) के तहत राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया गया।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का परिशीलन किया। श्री योगेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन सहायक, शिक्षा विभाग सम्प्रति सहायक, मुख्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रथम बार आदेश संख्या–11782 दिनांक– 26.08.2014 द्वारा राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC सं0– 17107/2014 दायर किया गया। सुनवाई के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक– 21.05.2019 को पारित न्याय निर्णय में संबंधित विभागीय कार्यवाही में गवाहों द्वारा अभियोजन की सम्पुष्टि नहीं करने के आधार पर विभागीय कार्यवाही तथा दंडादेश को निरस्त करने का आदेश दिया गया। इस आदेश के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सं0– 8759 दिनांक– 02.07.2019 द्वारा श्री प्रसाद को बिहार सरकार की सेवा में पुनर्स्थापित करते हुए बर्खास्तगी की तिथि– 26.08.2014 से निलंबित मानते हुए प्रतिवेदित आरोपों की पुनः विस्तृत जाँच कराने हेतु नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि संचालित विभागीय कार्यवाही में धावादल के प्रभारी श्री राम कृष्ण पोद्दार द्वारा परिवादी राजकमल के बयान के समर्थन हेतु सत्यापनकर्त्ता सिपाही इन्द्रजीत सिंह द्वारा मामले को सत्यापित करते हुए रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि चार हजार रूपये के नोटों का नोट संख्या–प्री ट्रैप मेमोरेण्डम के तहत फिनाफ्थेलिन पाउडर से अच्छादित किया गया। तथा पोस्ट ट्रैप मेमोरेण्डम की सभी कार्रवाई नियमानुसार सम्पन्न की गई। तदोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मामले की वृहत समीक्षा करते हुए श्री प्रसाद को गंभीर कदाचार का दोषी पाते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (xi) के तहत राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया गया। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार,

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

पटना के पत्रांक 2324 दिनांक 10.07.2007 के आलोक में आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही चलायी गयी है, जो नियमानुकूल है।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव पक्ष में प्रस्तुत किए गए तर्क एवं साक्ष्य कमोवेश विभागीय कार्यवाही में विचारित किए गए थे। सभी आरोपों के गुण–दोष का विश्लेषण करते हुए ही संचालन पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाया है। तदोपरांत इस अपील के सुनवाई के क्रम में भी जो विभागीय अभिमत प्राप्त हुए, वह अपीलार्थी के विरुद्ध गठित आरोप एवं जाँच पदाधिकारी के अधिगम की पुष्टि करता है। वर्णित स्थिति में पूर्व के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

(विवेक कुमार सिंह)
अध्यक्ष –सह– सदस्य
राजस्व पर्षद, बिहार।

(विवेक कुमार सिंह)
अध्यक्ष –सह– सदस्य
राजस्व पर्षद, बिहार।